प्रतिलिपि आदेश दिनांक 25-8-14 पारित द्वारा श्री अशोक शिवहरे सदस्य राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर प्र0क्र0 रिव्यू 1962-तीन/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 5-5-14 पारित द्वारा राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर प्र0क्र0 निग0 755-तीन/14 • अपर आयुक्त सागर का प्र0क्र0 131 एवं 132/अ-6/अ/13-14•

1- छोटेलाल गुप्ता पुत्र स्व0 श्री सल्ले गुप्ता
निवासी ग्रा0 हटवारा मोहल्ला छतरपुर
तह0 व जिला छतरपुर म0प्र0 --- आवेदक

विरूद्ध

1- श्रीमती सीमा अग्रवाल पत्नी श्री रमेशचन्द्र
निवासी सतना हाल निवासी छत्रसाल चौक
बी0एस0 कॉलेज के सामने छतरपुर
2- प्रमोद अग्रवाल पुत्र श्री जानकी प्रसाद
3- कृष्णकुमार अग्रवाल पुत्र श्री किशोरीलाल
निवासीगण हटवारा मोहल्ला छतरपुर
तह0 व जिला छतरपुर म0प्र0
4- म0प्र0 शासन --- अनावेदक

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

पुनरावलोकन प्रकरण कमांक : 1962/111/2014

स्थान तथा दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

जिला छतरपुर

पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर

25.8.14 यह पुनरावलोकन आवेदन न्यायालयीन के प्र0क0 753/ तीन/ 2014 निगरानी में पारित आदेश दि0 5–5–2014 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है, जिसके व्दारा अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के प0क0 131 एंव 132/ अ–6–अ/13714 अपील में पारित संयुक्त आदेश दि0 4–2–14 एंव अधीक्षक भू अभिलेख (भू प्रबंधन) छतरपुर व्दारा प्र0क0 7 अ 6 अ/09–10 में पारित आदेश दि0 18–12–09 एंव प्र0क0 55 अ 6 अ/09–10 में पारित आदेश दि0 18–11–09 निरस्त करके अपर कलेक्टर छतरपुर व्दारा प्र0क0 161/ अ–6–अ/11–12 अपील तथा प्र0क0 160/अ–6–अ/11–12 में पारित आदेश दिनांक 30–11–13 यथावत् रखे गये है।

2/ आवेदक के अभिभाषक ने पुनरावलोकन हेतु आधारों में बताया कि समस्त कार्यवाही माननीय उच्व न्यायालय जबलपुर के समक्ष रिट पिटीशन कमांक 10677/13 एंव 10678/13 में पारित आदेश दिनांक 3–9–13 पर से हुई है जिसमें अपर कलेक्टर छतरपुर के समक्ष लंबित प्रकरण में दोनों पक्षों की सुनवाई के आदेश थे। इसी कम में विभिन्न न्यायालयों एंव राजस्व मण्डल तक प्रकरण अपील/निगरानी में चले और राजस्व मण्डल से आदेश दिनांक 5–5–14 से निगरानी का निराकरण करते समय अभिलेख से प्रत्यक्षदर्शी भूल हुई है क्योंकि अतिरिक्त जिला न्यायाधीश छतरपुर के समक्ष व्यवहार अपील कमांक 1 ए/98 में पारित आदेश दिनांक 31–7–99 से डिकी निरस्त हुई जिसके कारण जो भी विकय हुआ है वह अनुचित है ।

3/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव मध्य प्रदेश भू

राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रकिया संहिता 1908 की धारा 114 तथा आदेश 47 नियम 1 के अनुसार पुनरावलोकन हेतु निम्न आधार नियत हैं –

1. किसी नई और महत्वपूर्ण बात का साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके व्दारा पेश नहीं की जा सकती थी, या
2. मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती , या
3. कोई अन्य पर्याप्त कारण ।

उक्तानुसार कारणों के सम्बन्ध में पुर्नविलोकन में दिये गये आधारों के अवलोकन पर स्थिति यह हे कि माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष रिट पिटीशन कमांक 10677/13 एंव 10678/13 में पारित आदेश दिनांक 3–9–13 पर से अपर कलेक्टर छतरपुर व्दारा प्रकरण कमांक 160 एंव 161/अ–6–अ/11–12 में सुनवाई की गई, अपर कलेक्टर ने समस्त तथ्यों पर विचार कर आदेश दिनांक 30.11.13 पारित करना पाया गया है जहॉ तक इस न्यायालय के आदेश दिनांक 5–5–14 का सम्बन्ध में -- आदेश में सभी तथ्यों पर विचार कर पारित किया गया है । आवेदक के अभिभाषक यह समाधान नहीं करा सके कि आदेश दिनांक 5–5–14 के पुनरावलोकन हेतु उक्त आधारों में से कौनसा सशक्त आधार उनके पास है जो निगरानी विचाराधीन रहते हुये उनके व्दारा प्रस्तुत नहीं किया जा सका।

4/ उपरोक्त कारणों से पुनरावलोकन आवेदन ठोस आधारों पर आधारित न होने से अमान्य किया जाता है। पक्षकार टीप करें। अधीनस्थ न्यायालयों को आदेश की प्रति भेजकर प्रकरण रिकार्ड रूम में जमा किया जाय।

सदस्य